

NGT ने ठोस अपशषिट फेंकने पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधकिरण \(National Green Tribunal- NGT\)](#) ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत कषेत्रों में [अपशषिट फेंलाने या ठोस अपशषिट डालने](#) पर पूरण प्रतबिंध लगा दधिया है, जसिके उल्लंघन पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा ।

मुख्य बद्धि:

- न्यायालय के अनुसार, उल्लंघनकरत्ता को पहली बार में 5,000 रुपए का पर्यावरण मुआवज़ा देना होगा, तथा आगे भी अपशषिट फेंकने अथवा ठोस अपशषिट डालने की घटनाओं पर 10,000 रुपए का मुआवज़ा देना होगा ।
- यद्कि कोई थोक अपशषिट उत्पादक, रधियायतग्राही, शहरी स्थानीय नकियाय या कोई अन्य व्यक्तभारी मात्रा में अपशषिट फेंलाते या डंप करते हुए पकड़ा जाता है, तो पहली बार अपराध करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद के कसिी भी अपराध के लधिये 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा ।
- NGT ने यह आदेश राप्ती नदी के तटबंध पर अपशषिट डाले जाने से जल प्रदूषण होने संबंधी याचकिका पर पारति कधिया ।

राष्ट्रीय हरति अधकिरण (National Green Tribunal- NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधति मामलों के प्रभावी व शीघ्र नपिटान के लधिये [राष्ट्रीय हरति अधकिरण अधनियम, 2010](#) के तहत स्थापति एक वशिष नकियाय है ।
- ऑस्ट्रेलधिया एवं न्यूज़ीलैंड के बाद, भारत राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT) के गठन के साथ एक समरपति पर्यावरण न्यायाधकिरण स्थापति करने वाला वशिष्व का तीसरा देश और पहला वकिसशील देश बन गया ।
- राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT) को आवेदनों अथवा अपीलों का अंतमि रूप से नपिटान दायर होने के 6 महीने के भीतर करना अनविरय है ।
- राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT) के पाँच बैठक स्थान हैं, नई दलिली इसकी मुख्य बैठक स्थान है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार हैं ।